फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

रोहन राम पिता स्व0 चरण राम, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-पेलावल, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-रोमी, थाना नं0-77, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-78, रकबा-0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि रेशमी मोसेमात पति स्व0 चुनिया भुइंया, निवास स्थान ग्राम-रोमी, पोस्ट-पेलावल, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-682/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3490/रा0 दिनांक 16.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 245 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा अंचल-कटकमसांडी, मौजा-अलिया, थाना संख्या-77, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-78, रकबा-0.04 एकड़ भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत रूदन चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 2.86 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 2.12 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-374 में रूदन चमार के नाम से जमाबंदी कायम है। रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकबा 0.55 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 0.51 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में रोहन राम पिता स्व0 चरण राम, निवास स्थान ग्राम–रोमी, पोस्ट–पेलावल, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–कटकमसांडी, मौजा–अतिया, थाना नं0–77, खाता संख्या–36, प्लॉट संख्या–78, रकवा–0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि रेशमी मोसेमात पति स्व0 चुनिया भुइंया, निवास स्थान ग्राम–रोमी, पोस्ट–पेलावल, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 24/1/17

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 24/1/17

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.24 15:51:48 +05:30
Location: 192.168.0.101